रिसाला

बाज़ुल आयात

लेखक

हज़रत बन्दगी मियाँ

सय्यद ख़ुदंमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी०

अनुवादक

श्री शेख़ चाँद साजिद

इदारतुल इल्म महेदवियह इस्लामिक लाइबररी
अंजुमने महेदवियह बिलडिंग, चंचलगुडा,
हैदराबाद - ५०० ०२४.

रिसाला बाज़ल आयात :

इस रिसाले में कुरआने मजीद की
बाज़ आयात और अहादीस से महेदी अले०
का सुबूत पेश किया गया है।

बाज़ुल आयात

क़ुरआन की बाज़ आयतें और अहादीस महेदी अलैहिस्सलाम के हक़ (विषय) में मन्क़ूल (उक्त) हुवे हैं। उन आयतौं में आप के अहवाल (दशा) अफ़आल (कर्म) और अक़वाल (वचन) की सचाइ की तफ़सील की गई है। उन (आयात और अहादीस) से हज़रत महेदी अले० की तस्दीक़ (पुष्ट) होती है और हज़रत अले० ने फरिश्ते या किसी दूसरे वास्ते (माध्यम) के बग़ैर अल्लाह तआला की तालीम से उन आयतौं को पढ़ा और उनकी ऐसी तफ़्सीर की जो अल्लाह की मुराद (उद्देश्य) है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़र्माता है وما یعلم تاویله الا الله والرسخون فی العلم (آل عمران ۷) *और नहीं जानता कोई इसका वास्तविक अर्थ आल्लाह के सिवाय और उन लोगौं के जो इल्म में साबित क़दम हैं* (३:७) अल्लाह की तालीम से। *रासिख़ून* से मुराद अम्बिया अलैहिमिस्सलाम और वह लोग हैं जो अहवाल और मक़ामात में उनके क़दम ब क़दम रहे और वह उन (अम्बिया) की पैरवी में मख़सूस (विशिष्ट) थे जैसा कि नबी सल्ला० ने फ़र्माय कि *हर नबी की उम्मत में उसका एक मिस्ल (समान) होता है,* और मिस्ल वही होसकता है जिसका दर्जा अल्लाह के नज़्दीक उस नबी के दर्जे के मिस्ल हो पस जब उस को नबी का दर्जा हासिल हो तो उसका अपने ज़माने में ख़लीफ़तुल्लाह भी होना ज़रूरी है और ख़ातिमुन नबी सल्ला० के लिये भी उनकी उम्मत में उनका मिस्ल होगा और वह महेदी मौऊद अले० है

जैसा कि नबी सल्ला० ने बाज़ अहादीस में फ़र्माया है और यह कहा जाता है कि नबी सल्ला० के बाद ख़िलाफ़त केवल छ व्यक्तियों के लिये उचित है। उनमें से पहले अबू बक्र रज़ी०, दूसरे उमर रज़ी०, तीसरे उस्मान रज़ी०, चौथे अली रज़ी० (जबकि) महेदी अले० और ईसा अले० ख़लीफ़े भी होंगे और इमाम भी। नबी सल्ला० के बाद ख़िलाफ़त आप के सहाबा में से उसके लिये संभाव्य है जो सुन्नत में आप सल्ला० का पैरो (अनुचर) रहा और नबी सल्ला० के बाद इमामत केवल दो ही व्यक्तियों के लिये संभाव्य है और वह महेदी और ईसा अलैहि-मस्सलाम हैं, क्योंकि इमामत उसी व्यक्ति के लिये उचित है जो अपनी उम्मत की नजात (मुक्ति) का सबब हो और उसकी इक़्तिदा (अनुसरण) के कारण उसकी उम्मत नजात पासके जैसाकि नबी सल्ला० ने फ़र्माया ....

كيف تهلک امتی انا فی اولها وعیسیٰ فی آخرها والمهدی من اهل بیتی فی وسطها

मेरी उम्मत किस तरह हलाक होगी मैं उसके अव्वल (प्रथम) में हूँ, *ईसा (अले०) उसके आख़र (अंत) में और महेदी (अले०) मेरी अहले बैत से उसके दरमियान (मध्य) है।* नबी सल्ला० ने इस हदीस में सूचना दी है कि आप (सल्ला०) की उम्मत उन दोनों की इक़्तिदा और पैरवी के बग़ैर हलाकत से नहीं निकलेगी क्योंकि यह दोनों (अलैहिमस्सलाम) *वही* और उस हुज्जते क़ातेआ (निर्णायक प्रमाण) के साथ जिसको वह मुआयना और मुशाहदा से देखते होंगे (लोगों को) अल्लाह की तरफ़ बुलाएंगे। इन दोनों के सिवा दूसरे मोमिनीन इस्तिदलाल (तर्क) और अख़बार (वर्णन) के ज़रीए अल्लाह की तरफ़ बुलासकते हैं। ख़बर (सूचना) मुआयना (ख़ुद देखना) के मिस्ल नहीं होती जैसा कि अल्लाह तआला ईब्राहीम अले० के विषय में फ़र्माता है ...

اذ قال ابراهيم رب ارنی کیف تحی الموتی قال اولم تومن قال بلیٰ ولکن لیطمئن قلبی (البقرة۲٦۰)
''कहा ऐ रब दिखला मुझको किस तरह तू मरे हुवे को ज़िंदा करता है'' (२:२६०)। इब्राहीम अले० ने रूयत (दर्शन) तलब की क्योंकि आप अल्लाह पर और उसके तमाम सिफ़ात पर यक़ीन (हढ़ विश्वास) रखते थे। आप ने रूयत इस लिये तलब की कि आप का दिल अल्लाह तआला के वादे (वचन) और उसके अफ़आल (क्रिया) की रूयत (दर्शन) पर मुत्मइन (संतुष्ट) होजाय फिर ख़ल्क़ (लोगौं) को अल्लाह की तरफ़ बुलाऐं क्योंकि अल्लाह तआला की तरफ़ वही अच्छी तरह बुला सकता है जो बैयिना यानि हुज्जते वाज़ेहा (व्यत्क प्रमाण) रखता हो और वह (प्रमाणा) ऐक नूर (प्रकाश) है जिसको अल्लाह तआला अपने बन्दे के क़ल्ब (मन) में डाल देता है ताकि पहले उसके ज़रीये असको तहक़ीक़ (अनुसंधान) होजाये और हक़ व बातिल (सत्य और असत्य) में फ़र्क़ (अन्तर) करे और बसीरत वाला होजाए।

दिल की आँख से और सर की आँख से अल्लाह को देखने का नाम बसीरत है। जब बन्दा ऐसा (बसीरत वाला) हो जाये तो वह मुतहक़्क़क़ और दावत पर मामूर (आदिष्ट) होता है, जैसा कि अल्लाह तआला अपने नबी सल्ला० के बिषय में फ़र्माता है ...

قل هذه سبیلی ادعوا الی الله علیٰ بصیرة انا ومن اتبعنی (یوسف۱۰۸)
कहदो ऐ मुहम्मद! यह मेरा रास्ता है बुलाता हूँ मैं बसीरत पर अल्लाह की तरफ़ और वह बुलायेगा जो मेरी इत्तिबा करेगा (१२:१०८) और वह महेदी अले० हैं जो अल्लाह की तरफ़ बुलाने में आँहज़रत सल्ला० के ताबे हैं और वही दावत पर मामूर हैं जिस तरह रसूलुल्लाह सल्ला० मामूर (आदिष्ट) थे, क्योंकि महेदी ही आँहज़रत सल्ला० की इत्तिबाअ

(अनुसरण) में कामिल होंगे यानि महेदी अले० शरीअत के अहकाम, अल्लाह की तरफ़ दावत और अपने तमाम अहवाल, अफ़आल और अक़वाल में आँहज़रत सल्ला० की पैरवी *वही* के ज़िरीए करेंगे। उन के सिवा दूसरा शख़्स केवल अख़बार सुनकर पैग़म्बरौं की पैरवी कर सकता है और महेदी अले० ही अपने रब की जानिब से हुज्जते वाज़ेहा पर होंगे। जो ऐक नूर है जिसको अल्लाह उनके दिल में डाल देगा। (अल्लाह तआला फ़र्माता है)....

افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله (محمد ١٤)

पस क्या वह शख़्स जो अपने रब की जानिब से हुज्जते वाज़ेहा (बैयिना) पर हो उस शख़्स के बराबर हो सकता है जिस के बुरे आमाल उसके लिये आरास्ता (सजाए) किये गये है। यानि दोनों बराबर नहीं हो सकते।

वह जो हुज्जते वाज़ेहा पर है उसके लिये (लोगौं को) दावत देना आवश्यक है पस वह दावत देगा जैसा कि वह मामूर (आदिष्ट) है, लेकिन वह जिसके लिये यह हुज्जत नहीं उस पर लाज़िम है कि उस (हुज्जते वाज़ेहा रखने वाले) की दावत को स्वीकार करे क्योंकि महेदी अले० ही बैयिना पर हैं उनके सिवा मोमिनीन में से कोई साहबे बैयिना नहीं होसकता, इस लिये कि बैयिना अम्बिया की हुज्जत है और यह जाइज़ नहीं कि अम्बिया की हुज्जत उनके अलावा दूसरों के लिये हो सिवाय उस शख़्स के जो उनका वारिस हो, और अम्बिया की विरासत (उत्तराधिकार) खातिमे विलायते मुहम्मदिया ही के लिये सज़ावार (उचित) है, इस लिये कि अल्लाह तआला उसी के ज़रीए विलायते मुहम्मदिया को ख़त्म (पूर्ण) करता है। पस जब महेदी अले० ही पर विलायत ख़त्म की जाये तो ज़रुरी हुवा की उन के लिये हुज्जते वाज़िहा हो, क्योंकि वह दाई

इलल्लाह (अल्लाह की तरफ़ बुलाने वाले) हैं, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है ....

افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسىٰ اماما ورحمةذالک يومنون به(ھود۱۷)

''क्या पस वह जो अपने रब की जानिब से बैयिनह पर है'' (११:१७) यानि एक ऐसे नूर पर हो जिसको अल्लाह तआला उसके दिल में डाल दे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने كان على بينة फ़र्माया ताकि शब्द من इस बात पर दलालत करे कि अल्लाह तआला की क़ुव्वत से महेदी अले० ही उस हाल पर ग़ालिब (विजयी) होंगे और *'साथ हो उसके एक गवाह'* यानि अल्लाह तआला की ताईद से ताबे हो उसका क़ुरआन जो अल्लाह का नाज़िल किया हुवा है *'और उसके पहले मूसा अले० की किताब हो'* यानि क़ुरआन के पहले मूसा अले० की किताब हो यानि मूसा अले० की किताब भी हमारे नबी सल्ला० पर जिस तरह गवाह है उसी तरह उस पर गवाह है जिसका किनाय (इशारा) من से किया गया है और वह तौरात है और वह इमाम है जिसकी पैरवी बनी इसराईल करते हैं और उनके लिये रहमत है क्योंकि वह उनके अहवाल के तक़ाज़े के मुवाफ़िक़ उतारी गई है, यानि मूसा अले० की किताब भी उस बैयिना की ताबे रहेगी जो ख़ातिमुर रुसुल और उसकी तरफ़ नन्सूब (संबंधित) है जो अपने तमाम अहवाल और दावत इलल्लाह में उस (ख़ातिमुर रुसुल) का पैरो रहेगा और वह महेदी अले० हैं। जब महेदी अले० के लिये यह हुज्जत हो तो उनके लिये अल्लाह की तरफ़ बुलाना ज़रुरी है और मोनिनीन के लिये लाज़िम है कि उन पर ईमान लायें और क़ुबूल करें जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़र्माता है *वह सब ईमान लायेंगे उस पर* (११:१७)। ***बेही*** में जो ज़मीर (सर्वनाम) है वह

मन काना अला बैयिना की तरफ़ राजे (लौटती) है, ***ऊलाइका*** इस्मे इशारा (संकेत) है और मुशारुन इलैहि (जिसकी तरफ़ इशारा किया गया है) ***बैयिना,*** क़ुरान और तौरेत हैं। यह सब के सब उस पर ईमान लायेंगे यानि उसकी मुवाफ़क़त (अनुकूलता) और तस्दीक़ करेंगे। जब महेदी अले० अपनी ज़ात से इस हुज्जत पर हो और क़ुरआन अल्लाह की ताईद से उनपर गवाह हो और एक ऐसी क़ौम जिस को अल्लाह तआला ने अपने कलाम में एक ऐसे वस्फ़ (गुण) से ख़ास किया है जो उसके सिवाय किसी दूसरे के लिये मुम्किन नहीं जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़र्माता है فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه(المائدة٥٤) *(क़रीब में अल्लाह एक ऐसी क़ौम को लायेगा जो उस से मुहब्बत रखेगी और वह उस से मुहब्बत रखेगा)*। यह आयत महेदी अले० के सिदक़ (सत्यता) की गवाही दे रही है और उनपर ईमान लारही है, तो किसी दूसरी गवाही की ज़रूरत नहीं अगरजे कि उनके लिये बहुत सी अलामतें हों, क्योंकि दो गवाहों की गवाही हुक्म (निर्णय) के लिये काफ़ी है, जबकि हाल यह है कि उनके लिये कई ऐसे मोमिनीन गवाह हैं जिनका फ़ेल (कर्म) क़ौल (वचन) के मुवाफ़िक़ है और जिनका क़ौल फ़ेल के मुताबिक़ है और वह जिस बात की गवाही दे रहे हैं उसको जानते हैं, पस जब महेदी हक़ (सत्य) हैं और उनकी हुज्जत उन मोमिनीन की गवाही दी हुवी है तो उन मोमिनीन के सिवी जो दूसरे लोग हैं उनपर भी उनको क़ुबूल करना वाजब है, और जो कोई उनको क़ुबूल न करे, उसका मुनकिर बन जाए और उन से मुहं फेरले तो उसका ठिकाना दोज़ख़ है, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है ومن یکفربه من الاحزاب فالنار موعده(هود١٧) *(और जो कोई इन्कार*

करे उसका फ़िरक़ौ में से तो उसका ठिकाना दोज़ख़ है) (११:१७)। क्योंकि वह (महेदी मौऊद अले०) ख़ातिमे विलायते मुहम्मदिया हैं और जो ईमान लाये उन (नबी सल्ला०) की नबूवत पर और ईमान न लाये उन (नबी सल्ला०) की विलायत पर तफ़्सील के साथ तो वह ऐसा ही काफ़िर है, जैसा कि यहूद और नसारा मुहम्मद सल्ला० की नबूवत के काफ़िर हैं क्योंकि नबूवत नबी सल्ला० का ज़ाहिर है और विलायत आप सल्ला० का बातिन है। पर चूंकि महेदी अले० ही उस विलायत के मज़्हर थे और उनका ज़हूर आप सल्ला० ही की ज़ात में होना था तो वह (विलायत) ख़ातिमुर-रुसुल की ख़ूबियों में से एक ख़ूबी क़रार पाएगी, क्योंकि आँहज़रत सल्ला० मक़ामे रिसालत में हमेशा शरीअत का इज़्हार फ़र्माते रहे और अपनी विलायत को अहदियते ज़ातिया के साथ जो तमाम अस्मा को जामे है आप सल्ला० ने ज़ाहर नहीं फ़र्माया ताकि इस्मे हादी अपने हक़ को पूरा लेवे, पस यह ख़ूबी यानि विलायत आप सल्ला० का बातिन ही रहा ताकि उसका भी ज़हूर मज़हरे ख़ातिम में हो, जैसा कि नबी सल्ला० ने फ़र्माया कि *मैं तुम्हें अपनी अहले बैत में ख़ुदा को याद दिलाता* हूँ और वही महेदी है यानि महेदी अले० ख़ातिमुन नबी की विलायत का मज़्हर होंगे और वह महेदी की ज़ात ही में ज़हूर पाएगी ताकि वह तुम्हें ख़ुदा तआला को याद दिलाये उस में यानि ख़ास महेदी की ज़ात में। अगरचे कि आप (रसूल सल्ला०) की विलायत आपकी ज़ात में बतरीक़े इज्माल मौजूद थी लेकिन तफ़्सील के साथ ज़ाहर न हुवी और इसी वजह से मुहम्मद सल्ला० को ख़ातिमुन, नबीईन कहा जाता है क्योंकि अल्लाह तआला ने आप ही को ख़तिमे नबूवत बनाया और आप की विलायत के लिये भी आपकी उम्मत में से एक और ख़ातिम है

उसका आख़र ज़माने में निकलना साबित है जैसा कि नबी सल्ला० ने फ़र्माया कि لولم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذالک

اليوم حتیٰ يبعث فيه رجلا من اهل بيتی يواطی اسمه اسمی و كنيته كنيتی

अगर सिर्फ़ एक दिन भी दुनिया से बाक़ी रह जाये तो अल्लाह तआला उस दिन को इत्ना लंबा करेगा कि उसमें पैदा करे एक शख़्स को मेरी अहले बैत से जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक़ होगा और जिसकी कुनियत मरी कुनियत के मुवाफ़िक़ होगी क्योंकि वह कौनैन का मक़्सूद है। अगर यह कहा जाए कि उसका नाम मेरे नाम के और उसकी कुनियत मेरी कुनियत के मुवाफ़िक़ होगी का क्या अर्थ है तो हम कहेंगे कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के तमाम ज़ाहरी और बातिनी सिफ़ात से मौसूफ़ होंगे और रसूलुल्लाह सल्ला० की तरह तमाम अस्माए इलाहिया का मज़्हर होंगे।

हज़रत बंदगी मियाँ सैयद ख़ुदंमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी० का लिखा हुवा रिसाला बाज़ुल आयात समाप्त हुवा।